न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

अनवान .....बनाम.....दीनदयाल.....सन् 2021

किस्म मुकदमा.....53,188.....मु0नं0.....41.....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म	
03.02.2021	वादी मय वकील उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 16.02.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम
5,6,7,40,41, 42 की तरफ से. U.T. 23/2/21	16/2/21 वादी अधिवक्ता उप0। वास्ते तामील RPD पत्रावली दिनांक 23.2.21 को पेश हो।
	23/2/21 वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी सं. 1 तथा 4 की ओर से वकालतनामा व 5, 6, 7, 40, 41 व 42 की ओर से श्री सुनील पारीक एड. ने U.T. पेश की। वास्ते पेश करने वकालतनामा व जवाब दावा व ओर की इत्तिला पत्रावली दिनांक 1.3.21 को पेश हो।
01/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 023 R1 CPC पेश कर निवेदन किया कि वादी उक्त वाद को विड्रा कर नया वाद पेश करने की इजाजत चाहता है। वादी अधिवक्ता को सुना गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आगामी पत्रावली [illegible]। वादी का वाद विड्रा किया जाता है [illegible] करने की इजाजत दी जाती है [illegible] होकर पत्रावली ले जाए से तथा वाद तकमीन कोस जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:37:23 IST
Reason: SelfAttested